माननीय न्यायालय म० प्र० राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म०प्र०)

प्र० क्र० / नि.16

श्रीपाल रियर स्टेट भागीदार मनोहरलाल पिता इन्दरमल जैन निवासी - मोहल्ला हाटपुरा आगर जिला आगर (म०प्र०) ------- आवेदक

विरुद्ध

(1) म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर जिला शाजापुर

(2) म० प्र० शासन द्वारा एस० डी० ओ० आगर ------ अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन के प्र० क्र० 327/ अ- 14- 15 आदेश दिनांक 24/02/2016 एवं कलेक्टर जिला शाजापुर के क्र० प्र० 3/ अपील/ 11- 12 तथा एस० डी० ओ० आगर - बडौद जिला शाजापुर के प्र० क्र० 17/ अ- 2/ 09- 10 में आदेश दिनांक 08/04/2010 के विरुद्ध निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

1. यह कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का आदेश विधि- विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की समीक्षा बगैर सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 172 (1) के प्रावधानों ... आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 951–तीन/2016 जिला–आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-4-16.	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 327/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश, भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्रीपाल रियर स्टेट भागीदार मनोहरलाल कैलाश कुमार पुत्रगण इन्दरमल जैन निवासीगण हाटपुरा आगर के द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी आगर बडौद के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम आबर स्थित भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1070 रकवा 1.960 है0, 1070 रकवा 1.320 है0, 1072/2 रकवा 0.150 आरे, 1073 रकवा 1.590 है0, 1074 रकवा 0.180 आरे कुल किता 5 कुल रकवा 5.200 है0 में से 3.20 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि परिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया। अनुविभागीय अधिकारी आगर बडौद के द्वारा आदेश दिनांक 08.04.2010 पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील कलेक्टर जिला आगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 29.01.2013 से खारिज कर दी गयी। इसके पश्चात् अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 24.02.016 से निरस्त की गयी। जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा धारा 172 (1) प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् मौका निरीक्षण कर स्थल पंचनामा बनाया गया था तथा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उपकर की राशि इतनी अधिरोपित नहीं की गयी थी इस बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है यह अपास्त किये जाने	

योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील को मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि प्रकरण पत्रिका के बिन्दु क्रमांक 4 की जानकारी आवेदक द्वारा नहीं दी गयी। जबकि अपील में बिन्दु क्रमांक 4 का कोई विवाद ही नहीं है ऐसी स्थिति में अपील निरस्त किया जाना विधिवत् नहीं है। डायवर्सन अधिकारी ने डायवर्सन किया है तथा उसका प्रिमियम भी उल्लखित किया है किन्तु उपकर की राशि प्रिमियम से अधिक निर्धारित कर दी गयी है जबकि पश्चात् के प्रकरणों मे उपकर की राशियों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में विवाद का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय को करना था किन्तु उनके द्वारा विवाद के हटकर अन्य असंबंधित विवाद उठाकर अपील निरस्त की है जो वैधानिक नहीं है। जनपद का उपकर लगान के दो गुना से अधिक लगाया है जबकि विधान में उपकर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति शहरी क्षेत्र से दूर होकर पंचायत क्षेत्र की सम्पत्ति है ऐसी सम्पति पर ग्रामीण क्षेत्र का शेड्यूल लागू होगा और उसी के आधार व्यपवर्तन लगाया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी से जितनी भूमि का व्यपवर्तन चाहा गया है उतनी भूमि का व्यपवर्तन किया गया है तथा उस आधार पर राशि निर्धारित की गयी है किन्तु इससे हटकर शासन के परिवर्तन लगान के हिसाब से 98,272/– रूपये किया उसपर जनपद उपकर का निर्धारण रूपये 1,96,544/– रूपये किया गया है यह जनपद उपकर निर्धारित विधि विधान एवं प्रावधान के विपरीत है। इस स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक शासन की ओर से सूची अभिभाषक उपस्थित हुये और उन्होने अपने तर्को में बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेशो की प्रतियों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् मौका निरीक्षण कर मौका पंचनामा बनाया है

एवं जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उपकर की राशि इतनी अधिरोपित नहीं की गयी है प्रकरण में मूल भूमि परिवर्तन लगान की राशि 98,272 निर्धारित की गयी है किन्तु जनपद उपकर के रूप में रूपये 1,96,544/– किया गया है जो जनपद उपकर निर्धारण विधि के विपरीत है क्योंकि आवेदित भूमि ग्राम आबर में स्थित होने से इस क्षेत्र के लिये प्रब्याजी हेतु निर्धारित वर्तमान प्रचलित व्यवसायिक दर 1.50 पैसे प्रति वर्गमीटर के मान से प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो कि 3485 वर्गमीटर होता है जिसके लिये रूपये 5,228/– प्रब्याजी का निर्धारण किया गया है जो उचित है ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना एवं मुख्य विवाद से हटकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वह विधिवत् नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त उज्जेन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 एवं कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2013 अपास्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर बडौद जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2010 स्थिर रखा जाकर उनके आदेश में जनपद उपकर के रूप में निर्धारित राशि 1,96,544/– रूपये समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य